प्रेमसिंह बनाम मालीराम वगै

दावा नं. 10/2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
28-9-22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। साक्ष्य वादी में वादी प्रेमसिंह S/o मूलसिंह ने उपस्थित होकर मुख्य परीक्षा में शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 10-10-2022 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	
10-10-2022	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उप./~~...~~ पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य [illegible] में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली [illegible] कार्यवाही हेतु दिनांक 21-12-22 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
21.12.2022	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 28.12.2022 को पेश हों। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर(सीकर)	
28.12.2022	पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड एंव स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। [illegible] प्रस्तुत निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली [illegible] निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 28/12/22 दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.02 12:17:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
102 / 2016	2016 / 0003	05.05.2016	28.12.2022

उनवान प्रकरण

1. प्रेमसिंह पुत्र मूलसिंह आयु 55 वर्ष जाति राजपूत पेशा काश्त निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

—— वादी——

बनाम

1. मालीराम आयु 60 वर्ष पुत्र स्वर्गीय नारायण उर्फ रामनारायण
2. बनवारीलाल आयु 50 वर्ष स्वर्गीय नारायण उफ रामनारायण
3. रामनिवास आयु 40 वर्ष पुत्र स्वर्गीय नारायण उर्फ रामनारायण
4. मुरलीधर आयु 50 वर्ष पुत्र गोमा
5. रामवतार आयु 45 वर्ष पुत्र गोमा
6. संतोष आयु 35 वर्ष बेवा मदन पुत्र गोमा
7. विकास आयु 15 वर्ष पुत्र मदन पुत्र गोमा
8. कमलेश आयु 13 वर्ष पुत्र मदन पुत्र गोमा

   प्रतिवादीगण नम्बर 7 व 8 नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता संतोष बेवा मदन
9. मोहनलाल आयु 48 वर्ष पुत्र सेडूराम
10. सेडूराम आयु 72 वर्ष पुत्र साधुराम
11. बोदूसिंह आयु 75 वर्ष पुत्र गोपालसिंह

समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी [illegible] तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.02 12:17:24 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

12. छाजूसिंह आयु 46 वर्ष पुत्र स्वर्गीय मोहनसिंह व स्व0 उच्छबकंवर

13. सुरज्ञानसिंह आयु 42 वर्ष पुत्र स्वर्गीय मोहनसिंह व स्व. उच्छबकंवर जाति राजपूत निवासीगण ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर

14. गोकुल देवी आयु 54 वर्ष पुत्री चोथूराम जाति जाट निवासी ढाणी भादवा की तन् ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

15. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—प्रतिवादीगण—

16. चोथूसिंह आयु 25 वर्ष पुत्र स्वर्गीय पूर्णसिंह पुत्र मूलसिंह

17. कुलदीपसिंह आयु 20 वर्ष पुत्र स्वर्गीय पूर्णसिंह पुत्र मूलसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—तरतीबी प्रतिवादीगण—

उपस्थित :—

श्री रूघनाथ सिंह शेखावत, एड0 वादी अभिभाषक।

श्री धर्मेन्द्र गूर्जर, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8, 11 ता 14 व 16 से 17 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 15 की ओर से।

खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

<u>दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड एंव स्थायी निषेधाज्ञा</u>

<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 324 रकबा 0.95 है0 अवस्थित तन् ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान समस्त राजपूतो के नाम अंकित था। जिसकी खातेदारी [illegible] रिकार्ड में जमाबन्दी संवत 2046 से 2049 में सही रूप से दर्ज थी जो इस प्रकार [illegible] मु0 सायर कंवर बेवा भगूसिंह,

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.02 12:17:24 IST
Reason: SelfAttested

28/12/22

दिलीप सिंह
खण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

प्रेमसिंह, पूर्णसिंह पुत्रगण मूलसिंह हि.ब., जयसिंह, जग्गूसिंह, हरिसिंह पिता गंगासिंह हि. ब., सवाईसिंह पुत्र नोपसिंह, मोहनसिंह, बोदूसिंह पिता गोपसिंह हिस्सा 2/3 व नारायण, चोथू, गोमाराम पुत्रगण परसाराम कौम जाट सा. देह हिस्सा 1/3 अंकित थी। उसके बाद खातेदार सायर कंवर बेवा भग्गूसिंह ने अपना हिस्सा 2/9 में से 1/3 हिस्सा अर्थात् सम्पूर्ण का 2/27 हिस्सा का विक्रय नारायणराम व गोमाराम पिता परसा के नाम खातेदारी दर्ज हो गयी किन्तु उक्त 2/27 हिस्सा राजपूतों के नाम चली आ रही खातेदारी में कम नही किया गया व राजस्व रिकार्ड राजस्व कर्मचारियों की गफलत व लापरवाही से ज्यों का त्यों चलता रहा। उक्त राजस्व रिकार्ड के गलत चलते सेडूराम पुत्र साधूराम ने खातेदार जग्गूसिंह के वारिसान से उनका हिस्सा क्रय कर लिया जिसके नाम भी 3/14 हिस्सा की खातेदारी पुनः राजस्व कर्मचारियो की गलती से दर्ज हो गयी तथा उसके बाद खातेदार हरिसिंह पुत्र गंगासिंह के द्वारा मोहन पुत्र सेडूराम के नाम भी हिस्सा 3/14 की खातेदारी दर्ज हो गयी तथा खातेदार सवाईसिंह पुत्र नोपसिंह के वारिसान द्वारा विक्रय करने पर उनके स्थान पर बनवारीलाल पुत्र रामनारायण जाट के नाम 1/6 दर हिस्सा 2/3 हिस्सा की खातेदारी दर्ज हो गयी किन्तु उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की ओर किसी ने ध्यान नही दिया। वर्तमान जमाबन्दी मे पूर्व की गलती के कारण राजस्व रिकार्ड इस प्रकार दर्ज हैः– नारायण, गोमा पिता परसा जाति जाट हिस्सा 2/27, प्रेमसिंह पिता मूलसिंह, चोथूसिंह, कुलदीपसिंह पिता पूरणसिंह उर्फ पूर्णसिंह जाति राजपूत, मोहनलाल पुत्र सेडूराम जाति जाट, बनवारीलाल पुत्र रामनारायण हिस्सा 1/6 दर हिस्सा 2/3, बोदूसिंह पुत्र गोपसिंह, उच्छबकंवर पत्नि मोहनसिंह, छाजूसिंह, सुरज्ञान सिंह पुत्र मोहनसिंह हिस्सा 5/6 दर हिस्सा 2/3 कौम राजपूत, सेडूराम पुत्र साधूराम कौम जाट हिस्सा 3/18 नारायण, गोमा पिता परसा हिस्सा 2/9, गोकुल देवी पुत्री चोथूराम हिस्सा 1/9 कौम जाट सा. देह खातेदार। वर्तमान जमाबंदी में अंकित हिस्सो का योग करने पर राजस्व रिकार्ड का हिस्सा सही नही बैठ रहा है क्योकि सम्पूर्ण हिस्सा जोडने पर 30/27 होता है अर्थात हिस्सा बढ़ता है। इस [illegible] प्रेमसिंह पुत्र मूलसिंह व चोथूसिंह, कुलदीपसिंह पुत्रगण पूरणसिंह [illegible] 2/27 ही शेष रहता है। जबकि उनका हिस्सा 4/27 होना चाहिये और उक्त गलत राजस्व रिकार्ड संशोधित किया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.02 12:17:24 IST
Reason: SelfAttested

28/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

अति आवश्यक एवं न्यायोचित हैं। पुरानी जमाबंदी के हिसाब से राजस्व रिकार्ड संम्वत 2046 से 2049 व 2050 से 2053 की जमाबंदियो में सही अंकित था। जो इस प्रकार था:– नारायण, चोथू, गोमा पिता परसा हिस्सा 1/3 व सायर कंवर बेवा भग्गूसिंह, प्रेमसिंह, पूर्णसिंह पुत्रगण मूलसिंह, भंवरसिंह, कलयाणसिंह पिता जयसिंह, जग्गूसिंह, हरिसिंह पिता गंगासिंह, सवाईसिंह पुत्र नोपसिंह, मोहनसिंह, बोदूसिंह पिता गोपसिंह हिस्सा 2/3 इस प्रकार राजस्व रिकार्ड सही था किन्तु सुप्यार कंवर बेवा भग्गूसिंह द्वारा अपना हिस्सा 2/27 का विक्रय नारायण, गोमा पिता परसा को कर दिया गया ओर उसकी खातेदारी भी दर्ज हो गयी किन्तु उक्त हिस्सा 2/27 को राजपूतो के नाम दर्ज 2/3 हिस्सा में कम नही किया गया। इस कारण आगे राजस्व रिकार्ड गलत दर्ज होता रहा जो दुरूस्तनीय हैं। जबकि उक्त सायर कंवर बेवा भग्गूसिंह के विक्रय लेख के पश्चात राजस्व रिकार्ड इस प्रकार होना चाहिये था:– प्रेमसिंह, पूर्णसिंह पुत्रगण मूलसिंह हिस्सा 4/27, नारायण, गोमा पिता परसा हिस्सा 2/27 व जयसिंह, जग्गूसिंह, हरिसिंह पिता गंगासिंह हिस्सा 2/9 व सवाईसिंह पुत्र नोपसिंह हिस्सा 2/18, मोहनसिंह, बोदूसिंह पुत्र गोपसिंह हिस्सा 2/18 व नारायण, चोथू, गोमाराम पिता परसा हिस्सा 1/3 होना चाहिये किन्तु राजस्व रिकार्ड कर्मचारियो ने सायर कंवर के विक्रय लेख के आधार पर गोमाराम व नारायण का हिस्सा 2/27 सायरकंवर के नाम के स्थान पर अंकित कर दिया किन्तु उक्त हिस्सा को 2/3 हिस्सा मे से कम नही करके उक्त गलती की जो कानूनन दुरूस्तनीय हैं। अगर उक्त नामान्तकरण सही तरीके से भरा जाता तो प्रेमसिंह, पूर्णसिंह पिता मूलसिंह के नाम 4/27 हिस्सा की खातेदारी रहती व शेष के उपरोक्तानुसार किन्तु आगे से आगे उक्त गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर विक्रय पत्र तस्दीक किये जाते रहे जो उक्त गलत राजस्व रिकार्ड से हुये व नामान्तकरण खोले जाते रहे। जिससे खातेदार प्रेमसिंह, पूर्णसिंह पुत्र मूलसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड 4/27 के स्थान पर 1/27 ही रह गया जो दुरूस्तनीय है। उक्त दुरूस्ती हेतु वादी प्रेमसिंह ने भूमिधारी प्रतिवादी नम्बर 15 को व हल्का पटवारी को व सम्बन्धित अधिकारी को लिखित में कई प्रार्थना पत्र दिये किन्तु उक्त गलत राजस्व रिकार्ड जो राजस्व कर्मचारियों की गफलत व लापरवाही से दर्ज हुआ है मे कोई संशोधन नहीं किया गया। इस कारण समक्ष यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.02 12:17:24 IST
Reason: SelfAttested

20/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

10. सडूराम आयु 72 वर्ष पुत्र श्री माधाराम

दावा पेश करना लाजिमी आया। इस बाबत वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण ने दिनांक 29.05.2015 को आपके समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया तो उन्हे दावा प्रस्तुत करने की सलाह व हिदायत दी गयी। इस कारण भी दावा पेश करना लाजिमी आया है। उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी पूर्व में कभी नही हुई किन्तु वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण ने किसान कार्ड बनवाने हेतु गत वर्ष जमाबंदी निकलवाई तब उन्हे पता चला कि जितनी भूमि उनके कब्जे में है। उतने रकबे की खातेदारी ही दर्ज नही है। केवल मात्र 1/27 हिस्सा की खातेदारी है। जबकि उनके नाम 4/27 हिस्सा की खातेदारी दर्ज होनी चाहिये। इस पर उन्होने उक्त दुरूस्ती बाबत हल्का पटवारी व भूमिधारी के पास कई मर्तबा निवेदन किया किन्तु कोई सुनवाई नही होने पर दिनांक 29.05.2015 को श्रीमान् के समक्ष आवेदन करने पर उचित व सही सलाह दी गई। वादग्रस्त भूमि ग्राम पृथ्वीपुरा पटवार हल्का बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर में अवस्थित होने से व वादी एवं प्रतिवादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण ग्राम पृथ्वीपुरा के निवासी होने से प्रस्तुत दावा बाबत माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार है। दावा बाबत घोषणा व दुरूस्ती रिकार्ड होने से भूमिधारी व राजस्व रिकार्ड संधारण करने वाला व उक्त रिकार्ड में दुरूस्ती करने वाला अधिकारी होने से आवश्यक पक्षकार हैं इस कारण उसे प्रतिवादी नम्बर 15 बनाया गया हैं। किन्तु उक्त प्रतिवादी के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने हेतु दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना कानूनन अनिवार्य है। किन्तु मामला आवश्यक प्रकृति का होने से उक्त प्रतिवादी के विरूद्ध दावा धारा 80(2) सीपीसी के प्रार्थना पत्र की अनुमति के बाद प्रस्तुत किया गया है। दावा में घोषणा इस आशय की जावें कि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को पूर्व में जमाबंदी में दर्ज हिस्से के अनुसार उनको खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी को सम्पूर्ण का 2/27 हिस्सा का व तरतीबी प्रतिवादीगण चोथूसिंह व कुलदीपसिंह को 2/27 हिस्सा बहिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किये जानें तथा पूर्व में गलत दर्ज राजस्व रिकार्ड को इस प्रकार संशोधित किया जावें–नारायण, गोमा पिता परसा जो [illegible] चुके हैं के वारिसान जो दावा में प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 8 है [illegible] को नारायण पुत्र परसा के नाम दर्ज हिस्सा 2/54 में से 1/3 हिस्सा का अर्थात 2/162 हिस्सा का व नारायण,

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.02 12:17:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

20/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

गोमा पुत्र परसा के नाम अंकित 2/9 हिस्सा में नारायण के 1/9 हिस्सा में 1/3 अर्थात संपूर्ण के 1/27 हिस्सा का कुल 1/27+2/162 अर्थात 4/81 हिस्सा का संपूर्ण का तथा प्रतिवादी नम्बर 2 बनवारीलाल जो मृतक नारायण का वारिस हैं के नाम दर्ज 2/18 हिस्सा + नारायण के नाम दर्ज 2/54 मे 1/3 हिस्सा अर्थात 2/162 हिस्सा का व नारायण के नाम अंकित 1/9 हिस्सा मे से 1/3 हिस्सा में 1/27 हिससा का कुल 13/81 हिस्सा का व प्रतिवादी नम्बर 1 रामनिवास जो मृतक नारायण का वारिस है को नारायण के नाम अंकित हिस्सा 2/54 मे से 1/3 अर्थात 2/162 हिस्सा, नारायण के नाम अंकित 1/9 हिस्सा मे 1/3 हिस्सा अंकित 1/27 हिस्सा। इस प्रकार संपूर्ण मे 4/81 हिस्सा का व इसी प्रकार मृतक गोमा के वारिसान मे प्रतिवादी नम्बर 4 मुरली को गोमा के नाम अंकित 2/54 हिस्सा में 1/3 हिस्सा अर्थात संपूर्ण के 2/162 हिस्सा व गोमा के नाम अंकित अन्य हिस्सा 1/9 में से 1/3 हिस्सा अर्थात संपूर्ण के 1/27 हिस्सा कुल 4/81 हिस्सा का व प्रतिवादी नम्बर 5 रामवतार जो गोमा का पुत्र हैं को भी 2/162 + 1/27 हिस्सा कुल 4/81 हिस्सा का तथा प्रतिवादीगण नम्बर 6 ता 8 मृतक गोमा के तीसरे पुत्र मदन पुत्र गोमा की पत्नि व पुत्र है को गोमा के हिस्सा 2/54 में 1/3 हिस्सा 2/162 व दीगर हिस्सा 1/9 में 1/3 हिस्सा अर्थात 1/27 हिस्सा कुल 4/81 हिस्सा का बहिस्सा बराबर बराबर का तथा गोकुल देवी को 1/9 हिस्सा (प्र0न 14) की तथा प्रतिवादी नम्बर 9 मोहन पुत्र सेडू को 1/9 हिस्सा का व प्रतिवादी नम्बर 10 सेडूराम पुत्र साधुराम को प्रतिवादी नम्बर 11 को 1/36 हिस्सा का प्रतिवादीगण नम्बर 12 व 13 को 1/36 हिस्सा का बहिस्सा बराबर–बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। प्रतिवादी नम्बर 9 को संपूर्ण 1/9 हिस्सा व प्रतिवादी नम्बर 10 को 1/9 हिस्सा का तथा प्रतिवादी नम्बर 11 को 1/36 हिस्सा का व प्रतिवादीगण नम्बर 12 व 13 को 1/36 हिस्सा का बहिस्सा बराबर–बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रा[illegible]र्ड दुरूस्त किये जाने एंव इसी प्रकार प्रतिवादी नम्बर 14 को [illegible]कार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने हेतु प्रतिवादी [illegible]र 15 को उक्तानुसार आदेश प्रदान

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.02 12:17:24 IST
Reason: SelfAttested

28/11/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, सवाईमाधोपुर

किये जाने तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने का निवेदन वादी द्वारा अपने वादपत्र में किया है। वाद वास्ते घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड एंव स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8, 11 लगायत 14, 16 व 17 की ओर से श्री धर्मेन्द्र कुमार गूर्जर एड० ने उपस्थित होकर ईकबाली जवाब दावा पेश किया। शेष प्रतिवादी संख्या 9, 10, 15 की तामील सम्यक तरीके से होने के बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 9, 10, 15 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में वादी प्रेमसिंह पुत्र मूल सिंह का लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुआ। प्रकरण में वकील वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8, 11 लगायत 14, 16 व 17 के द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार करते हुए वादी के पक्ष में इकबाली जवाब दावा पेश कर दिये जाने एंव शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने एंव प्रकरण में साक्ष्य वादी पेश हो जाने से वादपत्र में बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमति व्यक्त की।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान् द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2046–2049, 2050–2053, 2054–2057, 2058–2061, 2062–2065, 2070–2073 की [illegible], [illegible] जवाब दावा व साक्ष्य वादी में प्रस्तुत साक्ष्य वादी द्वारा प्रस्तुत [illegible] इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी पक्षकारान् के पूर्वजगणों

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.02 12:17:24 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

में से मु0 सायल कंवर बेवा भगूसिंह, प्रेमसिंह, पूर्णसिंह पुत्रगण मूलसिंह हि.ब., जयसिंह, जग्गूसिंह, हरिसिंह पिता गंगासिंह हि.ब., सवाईसिंह पुत्र गोपसिंह, मोहनसिंह, बोदूसिंह पिता गोपसिंह हिस्सा 2/3 व नारायण, चोथू, गोमाराम पुत्रगण परसाराम कौम जाट सा. देह हिस्सा 1/3 अंकित थी। उसके बाद खातेदार सायर कंवर बेवा भग्गूसिंह ने अपना हिस्सा 2/9 में से 1/3 हिस्सा अर्थात् सम्पूर्ण का 2/27 हिस्सा का विकय नारायणराम व गोमाराम पिता परसा के नाम खातेदारी दर्ज हो गयी किन्तु उक्त 2/27 हिस्सा राजपूतों के नाम चली आ रही खातेदारी में कम नही किया जाना प्रकट होता है। इस प्रकार उक्त भूमियों की खातेदारी राजपूतों के नाम से दर्ज रिकार्ड होकर पक्षकारान् की पैत्रक भूमियॉ होना प्रकट होता है। जिसमें जमीनों का रजिस्टर्ड विकय हो जाने के उपरान्त भी खातेदारी यथावत रहने से राजस्व रिकार्ड का गलत इन्द्राज होना प्रकट होता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8, 11 लगायत 14, 16 व 17 के द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार करते हुए वादी के पक्ष में इकबाली जवाब दावा पेश करना भी प्रमाणित होता है। प्रकरण में साक्ष्य वादी के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित कथनों से भी वादी के वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। प्रतिवादीगण पक्षकारान् के द्वारा वादी के पक्ष में इकबालिया जवाब दावा पेश कर वादी के वादपत्र को स्वीकार किया जाना भी प्रकट होता है। जिसके आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाकर वादपत्र को डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 324 रकबा [illegible] अवस्थित तन् ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर [illegible] को पूर्व में जमाबंदी में दर्ज हिस्से के अनुसार उनको खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी को सम्पूर्ण का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.02 12:17:24 IST
Reason: SelfAttested

20/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

2/27 हिस्सा का व तरतीबी प्रतिवादीगण चोथूसिंह व कुलदीपसिंह को 2/27 हिस्सा बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा पूर्व में गलत दर्ज राजस्व रिकार्ड को इस प्रकार संशोधित किया जाता है कि :– नारायण, गोमा पिता परसा जो फोत हो चूके हैं के वारिसान जो दावा में प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 8 है में प्रतिवादी नम्बर 1 मालीराम को नारायण पुत्र परसा के नाम दर्ज हिस्सा 2/54 में से 1/3 हिस्सा का अर्थात 2/162 हिस्सा का व नारायण, गोमा पुत्र परसा के नाम अंकित 2/9 हिस्सा में नारायण के 1/9 हिस्सा में 1/3 अर्थात संपूर्ण के 1/27 हिस्सा का कुल 1/27 + 2/162 अर्थात 4/81 हिस्सा संपूर्ण का तथा प्रतिवादी नम्बर 2 बनवारीलाल जो मृतक नारायण का वारिस हैं के नाम दर्ज 2/18 हिस्सा + नारायण के नाम दर्ज 2/54 मे 1/3 हिस्सा अर्थात 2/162 हिस्सा का व नारायण के नाम अंकित 1/9 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा में 1/27 हिस्सा का कुल 13/81 हिस्सा का व प्रतिवादी नम्बर 1 रामनिवास जो मृतक नारायण का वारिस है को नारायण के नाम अंकित हिस्सा 2/54 में से 1/3 अर्थात 2/162 हिस्सा, नारायण के नाम अंकित 1/9 हिस्सा में 1/3 हिस्सा अंकित 1/27 हिस्सा इस प्रकार संपूर्ण में 4/81 हिस्सा का व इसी प्रकार मृतक गोमा के वारिसान में प्रतिवादी नम्बर 4 मुरली को गोमा के नाम अंकित 2/54 हिस्सा में 1/3 हिस्सा अर्थात संपूर्ण के 2/162 हिस्सा व गोमा के नाम अंकित अन्य हिस्सा 1/9 में से 1/3 हिस्सा अर्थात संपूर्ण के 1/27 हिस्सा कुल 4/81 हिस्सा का व प्रतिवादी नम्बर 5 रामवतार जो गोमा का पुत्र हैं को भी 2/162 + 1/27 हिस्सा कुल 4/81 हिस्सा का तथा प्रतिवादीगण नम्बर 6 ता 8 मृतक गोमा के तीसरे पुत्र मदन पुत्र गोमा की पत्नि व पुत्र है को गोमा के हिस्सा 2/54 में 1/3 हिस्सा 2/162 व दीगर हिस्सा 1/9 में 1/3 हिस्सा अर्थात 1/27 [illegible] 4/81 हिस्सा का बहिस्सा बराबर–बराबर का तथा [illegible] (4) की तथा प्रतिवादी नम्बर 9 मोहन पुत्र सेडू को 1/9 हिस्सा का व प्रतिवादी नम्बर 10 सेडूराम पुत्र साधुराम को प्रतिवादी नम्बर 11 को 1/36 हिस्सा का प्रतिवादीगण नम्बर 12 व 13

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.02 12:17:24 IST
Reason: SelfAttested

28/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

को 1/36 हिस्सा का बहिस्सा बराबर–बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। प्रतिवादी नम्बर 9 को संपूर्ण के 1/9 हिस्सा व प्रतिवादी नम्बर 10 को 1/9 हिस्सा का तथा प्रतिवादी नम्बर 11 को 1/36 हिस्सा का व प्रतिवादीगण नम्बर 12 व 13 को 1/36 हिस्सा का बहिस्सा बराबर–बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने एंव इसी प्रकार प्रतिवादी नम्बर 14 को 1/9 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने हेतु प्रतिवादी नम्बर 15 को उक्तानुसार आदेश प्रदान किये जाते है तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 14 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाता है कि वे वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 16 व 17 के कब्जा काश्त व हिस्से में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें एंव ना ही दीगर से करावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

28/12/22

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.02 12:17:24 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 28.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/12/22

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)